ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह न्यायमूर्ति के समक्ष

मेसर्स भारतीय कटर हैमर लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

पी.ओ. श्रम न्यायालय II, फ़रीदाबाद और अन्य-प्रतिवादी

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9478

30 जून 2010 भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 33-सी(2) - कंपनी और श्रमिकों के बीच समझौता - कंपनी समझौते के अनुसार श्रमिकों को लाभ देने में विफल रही - श्रम न्यायालय ने निपटान के संदर्भ में राशि की गणना करने का आदेश दिया, कंपनी की दलील है कि उत्पादन कम हो गया था, इसलिए श्रमिक दावा करने के हकदार नहीं हैं समझौते का आधार - कंपनी श्रम न्यायालय के समक्ष कोई ठोस या ठोस सबूत पेश करके दावे को साबित करने में विफल रही - श्रम न्यायालय के निष्कर्ष सबूतों की उचित सराहना के आधार पर - याचिका खारिज।

माना गया कि श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि श्रम न्यायालय ने पक्षों की दलीलों और सबूतों की सही सराहना की है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष, पक्षों द्वारा दिए गए सबूतों की उचित सराहना पर आधारित हैं, जो इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित हैं।

कानून, इसलिए, 26 मार्च, 2009 को आदेश पारित करते समय श्रम न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसे याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(पैरा 11 एवं 12)

पी.के.मुटनेजा. याचिकाकर्ता के लिए वकील।

ए. पी. भंडारी, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए.

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति:

(1) इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा 26 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है। 2009 (अनुलग्नक पी-21) श्रम न्यायालय-द्वितीय, फ़रीदाबाद द्वारा पारित किया गया।---जिसके माध्यम से उत्तरदाताओं संख्या 3 से 327 को रुपये की दर से राशि की गणना करने का हकदार माना गया है। याचिकाकर्ता- कंपनी के विरुद्ध प्रति आवेदक 7680 (कुल आवेदक 325)। आवेदकों को राशि देय होने की तारीख से उसके भुगतान तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना गया है। लागत रुपये आंकी गई है। 20,000, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 33-सी (2) के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए आवेदन पर।

(2) याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके कामगारों के बीच अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत 18 दिसंबर, 1995 (अनुलग्नक पी-1) को एक समझौता निष्पादित किया गया था। यह समझौता 1 अक्टूबर 1995 को लागू हुआ और 30 सितम्बर तक लागू रहना था। 1998 समझौते की धाराओं के अनुसार। समझौते का उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से व्यवस्थित, प्रभावी और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध प्रदान करना और हड़तालों को रोकने के लिए उचित सेवा शर्तों को बनाए रखने के लिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण, सार्थक संबंध बनाए रखना था। ताला लगाओ और धीरे चलो. कंपनी के परिसर में श्रमिक अनुशासन में सुधार करना, कार्यकुशलता को बनाए रखना और उसमें सुधार करना। समझौते की शर्तों के अनुसार, इस समझौते के तहत मिलने वाले सभी लाभ रुपये से उत्पादन बढ़ाने पर आधारित थे। 473 लाख से रु. तीसरे वर्ष में 710 लाख प्रति माह। इस संबंध में वह उक्त समझौते के खंड 6 का हवाला देते हैं। श्रमिकों ने केवल पहले वर्ष में उत्पादन दिया और समझौते के तहत निर्धारित लाभ उन्हें दिया गया। समझौते के दूसरे वर्ष में, कामगार इसे हासिल करने में विफल रहे उत्पादन लक्ष्य, जिसका तथ्य श्रमिकों को बताया गया, फिर भी प्रबंधन ने समझौते के अनुसार श्रमिकों को लाभ दिया। तीसरे वर्ष में फिर उत्पादन समझौते के अनुसार तय मानकों से कम रहा। तदनुसार, श्रमिकों को समझौते के तहत लाभ का भुगतान नहीं किया गया। 22 जून को दूसरा समझौता हुआ। 1998 (अनुलग्नक पी-2) याचिकाकर्ता कंपनी और श्रमिक संघ के बीच दर्ज किया गया था, जो 1 अप्रैल से वैध था। 1998 से 31 मार्च, 1999 तक। यह सहमति हुई कि 18 दिसंबर, 1995 का पिछला समझौता (अनुलग्नक पी-1) समाप्त हो जाएगा। यह दूसरा समझौता भी आपसी सहमति से 31 जुलाई, 1998 को हुए एक अन्य समझौते (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से हुआ। इस समझौते से 18 दिसंबर 1995 के कार्लियर समझौते की स्थिति (अनुलग्नक पी-1) बहाल हो गई। इंटीग्रम के दौरान श्रमिक संघ ने उपश्रमायुक्त के समक्ष एक शिकायत (अनुलग्नक पी-4) प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता-कंपनी श्रमिकों से उत्पादन नहीं ले रही है और न ही श्रमिकों को कच्चा माल दे रही है। परिणामस्वरूप, उत्पादन को नुकसान हो रहा है और इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि उन्हें पार्टियों के बीच हुए समझौते के अनुसार लाभ दिया जाए। 15 जून 1998 को श्रम आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता-कंपनी पर हरियाणा। इसके उत्तर में, कंपनी ने बताया कि चूंकि समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता-कंपनी के श्रमिकों द्वारा लक्षित आंकड़े पूरे नहीं किए गए थे और इसलिए, समझौते की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन में कमी थी और इस प्रकार उन्हें अधिकार नहीं मिला। समझौते के तहत श्रमिक दावा करते हैं। उक्त शिकायत या कारण बताओ नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसकी

तामील श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा की गई। याचिकाकर्ता- कंपनी समस्याओं का सामना कर रही थी और इसलिए दो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं (वीआरएस) लाईं ताकि कर्मचारियों को परेशानी न हो। उक्त योजना का लाभ काफी संख्या में श्रमिकों ने उठाया। अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत कुछ आवेदकों ने भी उक्त योजना को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता-कंपनी के कर्मचारी नहीं रहे। इसलिए, उनका कहना है कि अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत इन श्रमिकों के लिए आवेदन श्रम न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदन में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आवेदन में दावे की अवधि बताई गई है 1 अक्टूबर से था. 1997 से 30 सितम्बर 1998 तक जबकि आवेदन मई, 2002 में किया गया था, इसलिए, चार की देरी हुई है उक्त आवेदन प्रस्तुत करने में वर्ष। उनका तर्क है कि आवेदन अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत केवल नौ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और शेष आवेदकों ने आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही उनकी ओर से आवेदन को प्राथमिकता देने का कभी प्रयास किया गया। हालाँकि आवेदन के साथ श्रमिकों की सूची और उनके द्वारा दावा की गई राशि संलग्न की गई है, लेकिन जिन अन्य श्रमिकों की सूची आवेदन के साथ संलग्न की गई थी, उनके कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। इस आधार पर, उनका तर्क है कि आवेदन स्वयं श्रम न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं था। 26 मार्च, 2009 के आदेश (अनुलग्नक पी-21) को चुनौती देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरदाता-श्रमिक समझौते में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, वे उक्त समझौते के तहत किसी भी दावे के हकदार नहीं थे। समझौते में एक स्पष्ट खंड था और मौद्रिक लाभ का पूरा पैकेज सौदा रिटर्नबिलिटी अवधारणा पर आधारित है और समझौते के तहत होने वाले लाभ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे और साथ ही समझौते में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रोक दिए जाएंगे। 18 दिसंबर, 1995 के निपटान की प्रासंगिक शर्तें। तदनुसार, वह विवादित आदेश को रद्द करने और रिट याचिका को अनुमति देने की प्रार्थना करता है।

(3) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं-कामगारों के वकील का कहना है कि तथ्य, जैसा कि न्यायालय के समक्ष लिखित बयान में प्रस्तुत किया गया है, को ठोस और ठोस सबूतों द्वारा साबित किया जाना है। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा इस दावे से संबंधित कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 1995 से 1998 की अवधि के दौरान उत्पादन कम हो गया था। श्रम न्यायालय द्वारा 29 जुलाई, 2005 को पारित आदेशों के बावजूद, प्रतिवादी-कर्मचारियों द्वारा कंपनी के अधिकारी को गवाह के रूप में दस्तावेजों और प्रबंधन के अधिकृत प्रतिनिधि के वचन के साथ बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रबंधन से पता चलता है कि आंकड़ों में, जैसा कि लिखित बयान में उल्लेख किया गया है, समझौते के अनुसार श्रमिकों को उनके वैध दावे से वंचित करने के इरादे से हेरफेर किया गया था। वास्तव में, उत्पादन बढ़ गया है और श्रमिकों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि दिसंबर, 1995 में समझौते से पहले, वर्ष 1995 में 700-750 स्थायी कर्मचारी थे, वर्ष 1996 में 300 स्थायी श्रमिकों को हटा दिया गया था। -97 और 100-50 कैजुअल कर्मचारी लगे। इसके बावजूद, 1995 से 1998 तक उत्पादन में वृद्धि जारी रही। वह स्वीकार करते हैं कि पहले दो वर्षों यानी 1996-1997 तक, श्रमिकों को लाभ का भुगतान किया गया था, लेकिन तीसरे वर्ष यानी 1998 में, उन्हें लाभ का भुगतान नहीं किया गया था। वह समर्थन करता है यह पुरस्कार श्रम

न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि यह पुरस्कार कानून के अनुसार है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(4) अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत आवेदन की रखरखाव के संबंध में, उनका तर्क है कि जगह की कमी के कारण, आवेदन पर 9 उत्तरदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि अन्य आवेदकों की सूची में उनके नाम, कार्यकर्ता संख्या और उक्त आवेदन के साथ हस्ताक्षर संलग्न थे। याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि आवेदन पर अन्य श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या उनकी ओर से कोई प्राधिकरण नहीं था, रिकॉर्ड के खिलाफ है। उनका तर्क है कि धारा 33-सी(2) अधिनियम के तहत आवेदन जमा करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है और लगभग 3 साल और 8 महीने की अवधि के बाद ही आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी। जब अधिनियम के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, तो न्यायालय स्वयं सीमा अधिनियम की अवधारणा को लागू या आयात नहीं कर सकता है या सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 को लागू नहीं कर सकता है। इस आधार पर, उनका तर्क है कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश योग्य है। बरकरार रखा जाए और रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

(5) मैंने पक्षों के वकील को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(6) चूंकि इस सवाल पर गंभीर विवाद था कि क्या मूल आवेदन के साथ संलग्न आवेदकों की सूची में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 9 को छोड़कर शेष आवेदकों के हस्ताक्षर थे, इस न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालय के रिकॉर्ड तलब किए गए थे। और उनकी प्राप्ति पर मेरे द्वारा उसका अवलोकन किया गया है।

(7) अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत आवेदन 21 मई, 2002 को उत्तरदाताओं-आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदन के साथ संलग्न आवेदकों की सूची में आवेदकों के नाम, टोकन नंबर भी शामिल हैं। उनके हस्ताक्षर. इस तथ्य को देखते हुए, याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि आवेदन में 9 आवेदकों को छोड़कर अन्य आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिन्होंने आवेदन पर स्वयं हस्ताक्षर किए थे, कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाता है। चूंकि आवेदन पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले 9 आवेदकों द्वारा उनकी ओर से उक्त आवेदन दाखिल करने के प्राधिकरण का सवाल ही नहीं उठता।

(8) याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील के संबंध में कि अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत आवेदन देर से किया गया है। यह भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत किसी आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमिटेड बनाम रामेश्वर और अन्य के मामले में,[1] (1), पृष्ठ 221 के पैरा-6 में इस प्रकार व्यवस्था दी है:-

[1] एआईआर 1968 एस.सी. 218

"6. ये आवेदन 1962 में किए गए थे, हालांकि वे 1948 और उसके बाद के वर्षों के दावों से संबंधित थे। इसलिए तर्क यह था कि इन दावों का हिस्सा, किसी भी दर पर सीमा या विलंब के कारण वर्जित माना जाना चाहिए कामगारों की ओर से। इस विवाद का उत्तर बॉम्बे गैस कंपनी, 1964-3 एससीआर 709 (एआईआर 1964 एससी 752) (सर्पा) के मामले में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, जहां विचार के बीच एक अंतर निकाला गया था जो कि प्रबल होगा। एक औद्योगिक न्यायनिर्णयन और जो धारा 33-सी(2) जैसे वैधानिक प्रावधान के तहत दायर मामले में प्रबल होना चाहिए। इस न्यायालय ने वहां बताया कि एक औद्योगिक विवाद पर सामाजिक न्याय के आधार पर विचार किया जाता है और इसलिए एक न्यायाधिकरण ऐसे मामले में विचार करेगा। किसी मामले में देरी या विलंब जैसे कारकों पर विचार किया जाता है, ऐसे विचार वैधानिक प्रावधान के तहत किए गए दावों के लिए अप्रासंगिक हैं जब तक कि ऐसा प्रावधान किसी सीमा की अवधि निर्धारित नहीं करता है। न्यायालय ने माना कि इसमें प्रदान की गई सीमा की अवधि को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 33-सी(2) के प्रावधानों में कोई सीमा निर्धारित नहीं है और ऐसा प्रावधान केवल विधायिका द्वारा किया जा सकता है यदि वह उचित समझे, न कि न्यायालय द्वारा सादृश्य या ऐसे किसी अन्य विचार पर। यह कुछ महत्व की बात है कि यद्यपि कानून ने 1964 के अधिनियम 36 द्वारा धारा 33-सी में संशोधन किया और धारा में सीमाएँ पेश कीं, इसने केवल उप-धारा (1) के तहत किए गए दावों के संबंध में एक प्रावधान के माध्यम से ऐसा किया लेकिन ऐसा किया उप-धारा (2) के तहत दावों के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है। इस तथ्य और बॉम्बे गैस कंपनी के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, 1964-3 एससीआर 709=(एआईआर 1964 एससी 752) (सुप्रा) श्री गोखले ने स्वीकार किया कि वह इस तर्क पर जोर नहीं दे सकते कि वर्तमान दावे सीमा या बाधाओं से बाधित थे। "

(9) इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाउन म्युनिसिपल काउंसिल बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली और अन्य के मामले में,[2] (2) सीमा अधिनियम में संबंधित प्रावधानों के विस्तृत संदर्भ के बाद और योजना के उचित संदर्भ के बाद 1963 ने माना है कि अधिनियम का अनुच्छेद 137 अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत आवेदन पर लागू नहीं होता है और ऐसे आवेदनों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस निर्णय को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम वी. वासुदेव अनंत भिंडे और अन्य के प्रबंधन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था,[3] (3) तदनुसार, यह माना जाता है कि धारा 33-सी(2) के तहत आवेदन अधिनियम श्रम न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं-कर्मचारियों द्वारा बनाए रखने योग्य था।

(10) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क कि प्रतिवादी कामगार समझौते के आधार पर किए गए दावे के हकदार नहीं थे क्योंकि उत्पादन कम हो गया था और उन्होंने उत्पादकता स्तर हासिल नहीं किया था जो उन्हें

---

[2] एआईआर 1969 एस.सी. 1335

[3] एआईआर 1970 एस.सी. 196

दावे का हकदार बनाता। समझौते को इस तथ्य के आलोक में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी श्रम न्यायालय के समक्ष अपने लिखित बयान में किए गए दावों को कोई ठोस या ठोस सबूत पेश करके साबित करने में विफल रही है और वह भी अवसर दिए जाने के बावजूद श्रम न्यायालय ऐसा करने के लिए. आक्षेपित आदेश के पैरा 25 और 26 का संदर्भ इस स्तर पर फायदेमंद होगा, जो इस प्रकार है:-

"25. प्रबंधन की ओर से यह तर्क दिया गया कि दावेदार निपटान उदाहरण एम-1 के अनुसार लक्षित उत्पादन देने में विफल रहे और यहां तक कि दावेदार समझौते के अनुसार दूसरे वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी विफल रहे और फिर भी प्रबंधन ने प्रोत्साहन का भुगतान किया पहले दो वर्षों के लिए निपटान और दावेदारों द्वारा दिए गए उत्पादन का विवरण लिखित बयान के साथ-साथ पूर्व एमएक्स के रूप में दायर एमडब्ल्यू-1 अश्वनी कुमार नागपाल, वरिष्ठ प्रबंधक के हलफनामे में पहले ही दिया जा चुका है। यह तर्क प्रबंधन की ओर से उठाया गया है स्थायी कारण नहीं है क्योंकि लिखित बयान में दिए गए तथ्यों को इस अदालत के समक्ष ठोस और ठोस सबूतों से साबित किया जाना है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक एमडब्ल्यू-1 अश्वनी कुमार नागपाल ने हलफनामा एक्स. एमएक्स दायर किया है वही प्रपत्र जिसमें लिखित बयान में तथ्यों की वकालत की गई थी। इस हलफनामे के पैरा संख्या 6 में उत्पादन का आंकड़ा दर्शाया गया है। एमएक्स की पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं की गई है क्योंकि प्रबंधन द्वारा 1995 से 1998 की अवधि के दौरान उत्पादन से संबंधित कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है। अगर समग्रता में एमडब्ल्यू-1 अश्वनी कुमार नागपाल के बयान की सराहना की जाए तो उन्होंने उत्पादों की खरीद-फरोख्त, कर्मचारियों द्वारा दिए गए कुल उत्पादन के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि रिकार्ड पुराना होने के कारण उसका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि वह उस समय उत्पादन विभाग में कार्यरत नहीं थे और इसलिए उन्हें विवादित अवधि के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए उत्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोनों पक्षों के साक्ष्य में यह आया है कि श्रमिक दैनिक और मासिक आधार पर टुकड़ों के रूप में उत्पादन देते थे और श्रमिकों ने दावा किया है कि उन्होंने समझौते के अनुसार वांछित लक्ष्य दिए थे। W-1 लेकिन उनके लाभों को रोक दिया गया और श्रमिकों को लक्ष्य दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा गलत इरादे से स्थायी श्रमिकों की संख्या कम कर दी गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, प्रबंधन के लिए तीन साल की निपटान अवधि के साथ कंपनी के उत्पादन से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करना आवश्यक था और इस रिकॉर्ड का उत्पादन न करना प्रबंधन के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालता है क्योंकि प्रबंधन के पास केवल उत्पादन का अधिकार था। रिकार्ड और कर्मचारियों का इस रिकार्ड से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक कि उत्पादन अनुभाग के किसी भी अधिकारी या प्रभारी से इस अदालत के समक्ष यह बताने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि किस महीने में कर्मचारी लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे। जब इस न्यायालय के समक्ष कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो हलफनामे एक्स-एमएक्स के पैरा नंबर 6 में दिए गए उत्पादन आंकड़े वास्तविक नहीं हैं क्योंकि ये काल्पनिक आंकड़े हैं जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और एमडब्ल्यू-1 अश्वनी कुमार नागपाल का बयान है। वरिष्ठ प्रबंधक को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उत्पादन के ये आंकड़े उत्पादन रिकॉर्ड के अनुरूप तैयार किये गये हैं.

26. इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के संबंध में प्रबंधन की दुर्भावनापूर्ण मंशा की सराहना की जा सकती है। प्रबंधन के अधिकारी को गवाह के रूप में दस्तावेजों अर्थात बिक्री मूल्य सूची, बैलेंस शीट, बिक्री के आंकड़े, उपस्थिति रजिस्टर, बोनस के साथ बुलाने के लिए आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पर मेरे विद्वान पूर्ववर्ती द्वारा पारित दिनांक 29 जुलाई, 2005 के अवलोकन या आदेश के अनुसार रजिस्टर, बिक्री एजेंटों और डीलरों का नाम आदि। इस आवेदन का जवाब प्रबंधन द्वारा अदालत के समक्ष दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रबंधन इस अवधि से संबंधित उत्पादन रिकॉर्ड के साथ-साथ कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी का रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए तैयार है। श्रमिकों के एचएवी उत्पादन लक्ष्य के लिए। न्यायालय के 29 जुलाई 2005 के आदेश और प्रबंधन के लिए एआर के वचन के बावजूद, प्रबंधन द्वारा अभी भी यह उत्पादन रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, प्रबंधन द्वारा सामग्री रिकॉर्ड का गैर-उत्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रबंधन लिखित बयान के साथ-साथ शपथ पत्र एक्स एमएक्स में दी गई अपनी दलीलों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, तीसरे वर्ष से संबंधित दावेदारों को लाभ 1.4.2018 से प्रभावी होगा। 1 अक्टूबर, 1997 इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।"

(11) श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि श्रम न्यायालय ने पार्टियों द्वारा की गई दलीलों और सबूतों की सही सराहना की है और सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष, पक्षों के नेतृत्व में सबूतों की उचित सराहना पर आधारित हैं, जो इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं क्योंकि ये कानून के अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन के मामले में[4] पैरा 7 में विस्तृत किया गया है, जो इस प्रकार है: -

"7. अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और उस संबंध में सही कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट की एक रिट कर सकती है होना
निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए जारी किए गए: ये ऐसे मामले हैं जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के आदेश पारित किए जाते हैं, या इससे अधिक होते हैं, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप। इसी तरह एक रिट भी जारी की जा सकती है, जहां उसे प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, वह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्टिओरीरी रिट

[4] एआईआर 1964 एस.सी. 477

जारी करने का क्षेत्राधिकार एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का आवश्यक अर्थ यह है कि सबूतों की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों को रिट कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला या पूछताछ नहीं की जा सकती है। कानून की त्रुटि, जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी ही गंभीर क्यों न प्रतीत हो। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया गया है कि उक्त निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने में, ट्रिब्यूनल ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया। इसी प्रकार, यदि तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो इसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे रिट सर्टिओरारी द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उत्प्रेषण रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य अपर्याप्त थे। या विवादित निष्कर्ष को कायम रखने के लिए अपर्याप्त है। किसी बिंदु पर साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्षों से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत सर्टिओरीरी रिट जारी करने के लिए प्रदत्त क्षेत्राधिकार का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है (हरि विष्णु कामथ के अनुसार जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एस.एस. सरोन, न्यायमूर्ति) बनाम अहमद इशाक, 1955-1 एससीआर 1104: (एस) एआईआर 1955 एससी 233): नागेंद्र नाथ बनाम कॉमरेड। हिल्स डिवीजन, 1958 एससीआर 1240: (एआईआर 1958 एससी 398) और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह, एआईआर 1960 एससी 1168।"

(12) उपरोक्त के मद्देनजर, 26 मार्च, 2009 (अनुलग्नक पी-21) को आदेश पारित करते समय श्रम न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसे याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। तदनुसार, उक्त आदेश बरकरार रखा जाता है। परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मैसर्स भारतीय कटर हैमर लिमिटेड। पी.ओ. लेबर कोर्ट ॥, फ़रीदाबाद और अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह. न्यायमूर्ति.)

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा